



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-30.12.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने मु0अ0स0 336/2025 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0स0 336/2025 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।



नोट-उक्त अभियोग विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 65(1) बीएनएस 3/4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोएब पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2- है0का0 301 जितेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3- म0का0 776 सोनी थाना दोघट जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 30.12.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 770/25 धारा 333/109(1) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमन्चे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.12.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री अनिल पुत्र मनीराम निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि 04 अभियुक्तों 1- सिद्धू पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मेवला भट्टी थाना



लोनी जनपद गाजियाबाद, 2- कनिष्ठ पुत्र करमपाल निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत तथा 02 अन्य व्यक्ति नाम-पता अज्ञात द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के भाई एवं अन्य परिवारीजनों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 770/25 धारा 333/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 770/25 धारा 333/109(1) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमन्चे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।

उक्त अभियोग में गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 की वृद्धि की गयी है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-विकास पुत्र लखमी निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-कनिष्ठ पुत्र करमपाल निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- 02 अवैध तमन्चे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी दिनांक समय व स्थान- उक्त अभियुक्तों को दिनांक 30-12-2025 को समय रात्रि 1.50 बजे ग्राम निरोजपुर जंगल थाना कोतवाली बागपत से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत।
- 3-है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत।
- 4-है0का0 873 हरीश थाना कोतवाली बागपत।
- 5-है0का0 816 शौकेन्द्र थाना कोतवाली बागपत।
- 6-का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत।
- 7-का0 165 संदीप थाना कोतवाली बागपत।
- 8-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 30.12.25

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 770/25 धारा 333/109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (धायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.12.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री अनिल पुत्र मनीराम निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि 04 अभियुक्तों 1- सिद्धु पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मेवला भट्टी जनपद गाजियाबाद, 2- कनिष्ठ पुत्र करमपाल निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत तथा 02 अन्य व्यक्ति नाम-पता अज्ञात द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के भाई



एवं अन्य परिवारीजनों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 770/25 धारा 333/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गयी व आभयुक्त का गरफ्तारा हतु थाना कातवाला बागपत पर टाम का गठन किया गया।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 770/25 धारा 333/109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू निवासी मेवला भट्टी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 352/351(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

घटनास्थल- उक्त अभियुक्त दिनांक 30-12-2025 को समय 10.09 बजे ग्राम सरुरपुर जंगल थाना कोतवाली बागपत से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू पुत्र हातम नि0 मेवला भट्टी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद। (घायल)

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार अभियुक्त सिद्धार्थ का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 0262/24 धारा 307/504/506 भादवि थाना लोनी जनपद कमिश्नरेट गाजियाबाद। 2-मु0अ0सं0 430/25 धारा 131/351(2) बीएनएस थाना लोनी जनपद कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3-मु0अ0सं0 770/25 धारा 333/109(1)/352/351(2) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 773/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4- उ0नि0 श्री सत्यम जंधाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5- है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6- है0का0 873 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7- है0का0 816 शौकेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8- का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 9- का0 165 संदीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 10- का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 11- का0 129 दुष्यन्त कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 12- का0 443 रामेन्द्र आजाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 30.12.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा आवेदक की पत्नी के लगभग 10 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण सकुशल वापस कराने के सम्बन्ध में-

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.12.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर आवेदक गौरव पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम सिसाना, थाना कोतवाली बागपत द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि उसी दिन उनकी पत्नी ओला कैब से अपने मायके नोएडा गई थीं। नोएडा पहुंचकर वाहन से उत्तरते समय वह अपना बैग, जिसमें



04 सोने की अंगूठी, एक हार व एक कड़ा (अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये) रखे थे, गलती से वाहन में ही छोड़ दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र पर थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही की गई। पुलिस की सतर्कता एवं प्रभावी प्रयासों से अल्प समय में ही वादी की पत्नी के समस्त आभूषण सकुशल वापस प्राप्त कर वादी को सुपुर्द कर दिए गए।

पुलिस की इस त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही से प्रसन्न होकर वादी द्वारा कोतवाली बागपत पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

आभूषण वापस करने वाली पुलिस टीम

1-उ0नि0 संत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-आरक्षी 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 30.12.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 459/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 24.12.2025 को थाना खेकडा पर आवेदक श्री भूपेन्द्र पुत्र भोन्दू सिंह निवासी ग्राम वढपुरा दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा लिखित सूचना दी गई कि अभियुक्तों 1- सचिन (पति) पुत्र फिरे सिंह, 2- नवीन (जेठ) पुत्र फिरे सिंह, 3- मांगे (जेठ) पुत्र फिरे सिंह, 4-



सास, 5-02 ननदों निवासीगण ग्राम गोठरा, थाना खेकडा, जनपद बागपत द्वारा दहेज में स्कार्पियो गाड़ी, ₹10,00,000/- नगद व सोने के आभूषण की मांग की जाती थी तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की भतीजी की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई एवं वादी की दूसरी भतीजी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 459/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 459/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में दिनांक 25.12.2025 को एक अभियुक्त सचिन पुत्र फिरे सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नवीन पुत्र फिरे सिंह नि0 गोठरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 भूरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 2-है0का0 886 अमित कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 3-है0का0 897 जयवीर सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 4-है0का0 741 टिन्कू भाटी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
- 5-है0का0 08 मुकेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

